

Appx K
 (Refu para 2 (vi) of
 Regu application)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉर्मशियल कॉम्प्लेक्स, सैकटर-ओमेगा, पी-2, ग्रेटर नौएडा सिटी- 201308

पत्रांक-वाई.ई.ए/नियोजन/३.प-१५/११५
दिनांक ०८/०५/२०१४

सेवा में,

मैसर्स इम्पिरिया होम्स प्रा० लि०
ए-२५, मोहन कोरपोरेट इन्डस्ट्रियल इंस्टेट,
नई दिल्ली-११००४४

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक- ०७/०३/२०१४ का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें आपके द्वारा भूखण्ड संख्या जी.एच-एफ-०३, सैकटर-२५, यमुना एक्सप्रेसवे पर गुप्त हाउसिंग के निर्माण के लिये भवन मानवित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत मानवित्रों की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ दी गयी है:-

१. यह मानवित्र दिनांक-२०/०२/२०१९ तक वैध है।
२. मानवित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिकाए, यमुना प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
३. भवन मानवित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानवित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमन्य नहीं होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
४. किसी भी कारण से यदि आवंटन निररत होता है तो मानवित्र स्वीकृती स्वतः निरस्त हो जायेगी।
५. यदि भविष्य में विकास कार्य अथवा अन्य कोई व्यय मौगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
६. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पत्ते किसी अन्य भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
७. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
८. स्वीकृत मानवित्रों का एक सेट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी ओरपे पर कभी भी जोच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति मानवित्रों के स्पेसीफिकेशन यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र की भवन विनियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहस्साने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहस्साने का यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा।
९. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानवित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा।
१०. सड़क पर अथवा सर्विस लेन में कोई ऐप्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे।
११. आवंटी द्वारा जल एवं मल की व्यवस्था का निरीक्षण प्राधिकरण के परियोजना विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
१२. यह मानवित्र दिनांक-२०/०२/२०१९ की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पटटेदार को पटटे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्णजीवित करा लिया हो। पटटे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानवित्र की वैधता पटटे की वैधता तिथि तक समाप्त जायेगा।
१३. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से निष्पानुसार सम्यवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
१४. स्वीकृत मानवित्र इस पत्र के साथ संलग्न है भवन कार्य मानवित्र की वैधता लिंगि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।

15. ऐन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान प्राधिकरण तथा सम्बन्धित संस्थान के नियमों के अनुसार कराया जाना होगा।
16. रथल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनोंक 14/09/06 में निहित प्राविधानों एवं समय—समय पर संशोधनों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मान पर्यावरण सम्बन्धित आनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुसन्धान होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के पूर्व यदि रथल पर किसी प्रकास का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं यमुना एक्सप्रेसवे भवनविनियावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. पर्यावरण विभाग, अरिनशमन विभाग आदि विभागों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. शारिरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान तथा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
19. इस पत्र की स्वीकृति वर्तमान में केवल 30 मीटर भवन की ऊँचाई तक है। एयरपोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र नियोजन विभाग में प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसके आधार पर पूर्व में स्वीकृत पत्र एवं मानवित्र पर लिखित टिप्पणी को निरस्त करते हुए मानवित्र निर्भत किया जायेगा तथा संशोधित स्वीकृत पत्र जारी किया जायेगा। इसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा मानवित्र की वैद्यता पूर्व में निर्गत तिथि से मात्र रहेगी।
20. सैकटर-25 के भू-विन्यास मानवित्र हेतु स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
21. यदि आवश्यकता हो तो हेरिटेज स्थलों एवं प्राचिन स्मारकों को संरक्षित किये जाने के लिये Ancient monuments, Archaeological sites and remains (Amendment & Validation) Act, 2010 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
22. रथल पर तालाब/पाखर/झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायोजित कर संरक्षित किया जायेगा।
23. संस्था द्वारा ऐसी प्रस्तावित भूमि जिसका अभी संस्था को विधिवत हस्तान्तरण होना शेष है, अथवा वर्तमान तथा भविष्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस पर कोई भी प्रस्ताव केवल नियोजन हेतु ही प्रतीकात्मक रूप से रहेगा, उस भूमि पर संस्था द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।
24. आवंटी द्वारा मानकों के अनुरूप एस.टी.पी. का निर्माण कर functional करना होगा।
25. भूगर्भ जल विभाग /केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवंटी स्वयं लेंगे।
26. आवंटी एन०जी०टी से अनापत्ति प्रमाण पत्र रथल स्वयं लेंगे।

संलग्नक— स्वीकृत मानवित्रों की प्रति।

महाप्रबन्धक
(मीना भागवत)
महाप्रबन्धक—नियोजन

प्रतिलिपि—

1. निजी सहायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महाप्रबन्धक—नियोजन